Vol II Issue XI Dec 2012 ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 2, Issue.11,Dec. 2012
ISSN:-2230-7850

Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

मानवाधिकारों के प्रति जन–जागरूकता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण

उमा त्रिपाठी,[1] धीरेन्द्र पाठक,[2] धरवेश कठेरिया,[3] शिवांजलि कठेरिया,[4] संदीप कुमार वर्मा,[5] तेज बहादुर यादव[6]

[1]प्रोफेसर, संचार अध्ययन एवं शोध विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
[2]रीडर, संचार अध्ययन एवं शोध विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
[3]सहायक प्रोफेसर, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)।
[4]स्वतंत्र लेखक एवं शोध कार्य में संलग्न, वर्धा (महाराश्ट्र)।
[5]सहायक प्रोफेसर, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)।
[6]वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

सारांश :

समाज, राज्य और राष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण के मुद्दे पर एक नहीं होते हैं। क्योंकि यह विषय प्रत्येक समाज में अपने मायने बदल लेता है। एक संस्था में जहां काम करने वाले कर्मचारी के लिए अधिक काम करना मानवाधिकारों का हनन होगा, तो उस संस्था के मालिक के लिए यह कार्य लाभकारी होगा। प्रायः अधिकतर खबरों में मानव अधिकार से संबंधित तथ्यों को शामिल किया जाता है। परंतु अधिकांश मामले जो राज्य या पुलिस प्रशासन द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी होते हैं, उन्हें सरकारी मीडिया पूरी स्पष्टता के साथ सामने नहीं लाता है। प्राइवेट मीडिया ऐसी घटनाओं पर अधिक सक्रियता से भूमिका निभाता है। विभिन्न जनमाध्यमों जैसे– फिल्म, धारावाहिक, विज्ञापन, चेतावनी, सूचनाओं इत्यादि द्वारा मानवाधिकारों संबंधी घटनाओं को सामाजिक धरातल पर रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को मीडिया की नजर देखने का प्रयास किया गया है। इस शोध में मानवाधिकार संरक्षण में राज्य और जनसंचार माध्यमों के बीच के आपसी तालमेल का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना:

संचार और समाज के सामन्जस्य को प्रायः अंतर्संबंधी देखा गया है और इन अंतर्संबंधी ताने–बाने के द्वारा ही समाज और सम्मिलित व्यक्तियों के समग्र विकास के आधार निर्मित होते हैं। समाज की जटिल व्यवस्था के साथ मानव अधिकारों को स्थापित करने की प्रक्रिया को देखा जाए तो मानव अधिकार जैसी संकल्पना समाज की संरचना के साथ उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि, समाज उत्पत्ति की व्याख्या हेतु विभिन्न दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सत्तात्मक सिद्धांत आदि प्रचलन में आए। जिसमें एकता की भावना, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता की आवश्यकता ने मनुष्य को सामाजिक बनने की अनुभूति दिलायी। इस क्रम में ही अनेक संस्कृतियों के जन्म हुए जिनका विस्तार समय के साथ आगे ले जाने का कार्य जनमाध्यमों ने किया। जनमाध्यम किसी व्यक्ति, छोटी इकाई, सहित सामूहिक व्यवस्था को स्थापित करने के प्रतीक रूप में देखे जा सकते हैं। व्यवस्था से तात्पर्य बुद्धि, तर्क, संस्कृति जैसे प्रयत्न होते हैं जिन्हें सहेजना, संप्रेशित व संस्कृति के संवाहक रूपी कार्य विभिन्न जनमाध्यमों ने किये हैं। परंतु सामूहिकता के साथ सार्वभौमिकता की चुनौती आज भी समाज में बड़ी चुनौती है। अनेक राज्यों में मनुष्यता को स्थापित करने की कवायद को महत्ता देना और सभी समुदाय, समाज, वर्ग आदि को संतुलन देने के साथ उन्नत की सहमति को सार्वभौमिक व्यवहार और व्यवस्था में लाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरत है। समाज और सार्वभौमिकता के बीच मानव ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे सभ्य राष्ट्र में राज्य और सरकारों द्वारा संरक्षित करना शक्ति संरचना से अधिक आधारमूलक है। मानव को मानवीयता संबंधी उपागम निर्मित करना मानववाद है। मानववाद को स्थापित करने के लिए मानवाधिकारों के आयाम को विस्तृत करना आवश्यक है। वहीं मानवाधिकारों के संरक्षण और विस्तार के लिए जनमाध्यम एक अति महत्वपूर्ण युक्ति है। जनमाध्यमों द्वारा इस दृष्टिकोण को गति दी जा सकती है।

प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अलावा यूनान और रोम के दार्शनिकों ने मानवाधिकार जैसे अधिकारों के संबंध में संरक्षण की चर्चा की, लेकिन उनके आधार धर्म के अधार थे। वहीं इसके इतिहास को देखें तो इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन द्वारा 15 जून 1215 में अंग्रेज सामंतो को एक आदेश जिसे मैग्नाकार्टा अथवा मैग्नाचार्टा के द्वारा प्रदत्त किया गया। इस चार्टर में इस बात को स्थापित किया गया था कि प्रजा और समुदाय के अधिकारों को संरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सम्राट को दायित्वधारी घोषित किया गया, जिसके लिए बाध्यता भी शामिल रही। वहीं प्रजा के प्रति किसी व्यक्ति को अधिकार के अनुपालन में यदि कोई असफल होता पाया गया तो बलपूर्वक अधिकारों के पालन की बाध्यता रहेगी और उसे विवश किया जाएगा।

मानव अधिकार की संकल्पना में मानव होने के लिए अनेक गरिमामय हित की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। दूसरी ओर इस विचारधारा का मूल उद्देश्य सामाजिक बुराईयों और शोषण के विरूद्ध स्वस्थ परिवेश का निर्माण करना है। चौदहवीं शताबदी से सोलहवीं शताबदी के बीच सामंतवाद और मध्ययुगीन धर्म के विरोध में आधुनिक मानववाद का जन्म एक विशिष्ट वैचारिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था। मानव अधिकार के पक्षधर विद्वान दांते, पैट्रॉर्क, ब्रूनो, मातेन, कापर्निकस, बेकन आदि प्रमुख रूप थे और इनका मानना था कि संपूर्ण मानव का सामाजिक दायित्व है कि व्यक्ति को व्यक्ति की दशा सुधारने में मदद करनी चाहिए। इस स्वतंत्र विचारधारा का संचार और प्रसार विश्व–स्तर पर हुआ, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन और धार्मिक बंधनों का विरोध किया गया। दुनिया के संचारकों द्वारा जनमाध्यमों के मदद से इन विचारों को धारणा बनाने की शुरूआत की जाने लगी। और परिणामतः लोगों में किए गए संचार का असर दिखा, दुनिया भर में लोगों ने धर्म को तिरस्कार किया, क्योंकि धर्म में मानव की अपेक्षा ईश्वर को अधिक महत्व दिया जाता है। मार्क्स ने भी अपने लेखों में मानववाद की

हिमायत की, और कहा कि मानव के हितों और गरिमा की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

मानवाधिकारों को जिस प्रकार से दो प्रमुख भागों में देखा जाता है, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहले अधिकारों में सिविल और राजनैतिक अधिकार जिनमें व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, एकांतता, गृह एवं पत्राचार, संपत्ति के अधिकार, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से स्वतंत्रता, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता, विचार, अंतरात्मा एवं धर्म तथा आवागमन जैसी स्वतंत्रता शामिल है। वहीं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार में इसके सभी पक्षों की भागीदारी के अधिकार शामिल हैं। इनमें पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर तथा भूख से स्वतंत्रता, कार्य एवं व्यवसाय के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार तथा शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को इन अधिकारों की कोटि में शामिल किया गया है। इन दोनों प्रकार के अधिकार व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अतः इन अधिकारों को किसी भी स्थिति में आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए हैं।

आधुनिक तर्क के अनुसार यदि मानव अधिकारों को देखा जाए तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इस संकल्पना का सही विस्तार संचार माध्यमों के बिना संभव नहीं है क्योंकि संचार माध्यम मन मस्तिष्क पर अपनी छवि छोड़ने में अधिक कारगर होते हैं। मानव अधिकार संबंधी वैश्विक–स्तर पर अनेक प्रयासों को सार्थक करने में जनमाध्यम एक विचार स्थापित करने का काम करते हैं। राज्यों के कानून मानवाधिकार संरक्षण के लिए दायित्व रखने में कितने सक्षम हैं और उन्हें किन–किन क्षेत्रों में विस्तार लाने की आवश्यकता है। वहीं मानवाधिकार की संकल्पना की स्थापना द्वारा समाज और व्यक्ति के समग्र विकास संबंधी पहलूओं को मीडिया समय–समय पर प्रत्येक स्तर पर सामने लाने का काम कर रही है। इसलिए जनमाध्यमों की स्थिति मानवााधिकारों को स्थापित करने में अधिक महत्वपूर्ण साबित हो रही है। राज्य के अनेक उत्तरदायित्वों को मीडिया उजागर करती है। भारत जैसे देश की बात की जाए तो अभी मानवाधिकार की संकल्पना को औसत रूप में ही देखा जा सकता है। जहां राज्य द्वारा अनेक स्तर पर इन अधिकारों को लिखित और कानूनी रुप प्रदान किया गया है। परंतु जिन व्यक्तियों द्वारा इन्हें संचालित किया जाना है, प्रायः उनके द्वारा ही इन अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जाति और वर्ग आधारित समाज भी भारत में मानवाधिकारों की विड़ंबना है। ऐसे में जनमाध्यम ही एक प्रमुख विकल्प है जिन्हें विधियों के अनुकरण में सहायक बनाया जा सकता है।

जनमाध्यम मानवाधिकार सहित किसी भी चेतना के विस्तार में प्रबल रहे हैं। दुनिया की अधिकांश परिवर्तनकारी स्थितियों के लिए चेतना जगाने का कार्य भी अलग–अलग स्तर पर मास कम्युनिकेटर, स्लोगन, पोस्टर, शिल्पकारी, रैली, मेले, प्रदर्शनी, स्मृति स्थल, स्तूप, प्रेरक लेख आदि ने किया है। वर्तमान समय में भी इन जनमाध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही नए जनमाध्यमों का भी विस्तार हुआ है। न्यू मीडिया ने विश्व स्तर पर एक प्लेटफार्म पर लोगों की सहभागिता बनाए जाने का माध्यम सिद्ध कर दिखाया है। ऐसे में मानवाधिकार संबंधी चेतना का कार्य तथा उल्लंघन में आलोचना एवं पीड़ित के लिए मार्गदर्शन सहित जनमत निर्माण में भी न्यू मीडिया बतौर जनमाध्यम लोकप्रिय साबित हुआ है। लोगों में आमतौर पर मानवाधिकारों संबंधी जागरूकता की कमी को भी जनमाध्यम लगातार उजागर करते आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, किसी समाचारपत्र की खबर या किसी चैनल पर चर्चा का विषय आदि, सभी माध्यम मानवाधिकारों को सर्वव्यापी बनाने के लिए आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए सामूहिक स्तर पर सोशल मीडिया की अंतर्वस्तु का शेयर, लिंक, सुझााव, टिप्पणी, प्रतिकिया जैसे कार्य भी कहीं न कहीं लोगों में चेतना बढ़ा रहे है।

हम रोजमर्रा जीवन की घटनाओं में देख सकते हैं, पुलिस की पिटाई, पंचायतों के अमानवीय फरमान, प्रथाओं में बर्बर स्थित का शामिल होना, फैक्टरियों में बाल मजदूर, महिलाओं व मजदूरों के प्रति अमानवीय व्यावहार सहित अनेक घटनाओं से लोग रूबरू हो रहे हैं। जनमाध्यमों के द्वारा ही काफी हद तक इन मामलों को सामने लाया जा सका है। अन्यथा राज्य स्वयं ही पूर्ण रूप से मानवाधिकारों को स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सकें हैं। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग के सचिव मुक्तेश वार्ष्णेय मानते हैं कि 'सम्मानजनक जीवन का अधिकार ही मानवाधिकार है।' इन अधिकारों की रक्षा के लिए जनचेतना बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 'मानवाधिकारों के लिए व्यवस्था या पुलिस पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। ऐसे में इनके विस्तार की उम्मीद बिना जनमाध्यमों के अधूरी है।'

जनमाध्यमों की भूमिका और मानवाधिकारः

मानवाधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय–समय पर मानवाधिकारों के अनुपालन संबंधी निर्देश व्याख्यायित किये हैं। वहीं संबंधित मुद्दों को जनमाध्यम भी जन–जन तक पहुंचाने का कार्य सजगता के साथ करते रहते हैं। मानवाधिकारों में शामिल भोजन का अधिकार, बाल–विवाह, बच्चों के विरूद्ध यौन हिंसा, महिलाओं और बच्चों के गैरकानूनी व्यापार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिला यात्रियों के साथ उत्पीड़न, सेक्स के लिए महिलाओं की तस्करी, बेसहारा औरतों, व्यक्तियों के पुनर्वास, दलित एवं आदिवासियों का उत्पीड़न, खानाबदोष जनजातियों के मुद्दे, शारीरिक अक्षम लोगों के लिए स्वास्थ संबंधी उत्थान, दुर्घटना एवं आपदाओं में निगरानी व राहत कार्य जैसे अतिमहत्वपूर्ण व संवेदनशील मसलों पर जनमाध्यमों की भूमिका सामाजिक–स्तर पर न्याय दिलाने की रही है। जनमाध्यमों द्वारा पीड़ितों को सहानुभूति एवं उत्पीड़न के विरूद्ध लड़ने का संबल मिलता है, वहीं कानून और व्यवस्था नियंत्रण करने के लिए दबाव रहता है। इस प्रकार जनमाध्यमों की भूमिका मानवाधिकर संबधी घटनाओं के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्य बनाने में सहायक सिद्ध होती है। दुनियां भर में मानवाधिकार संबंधी चर्चा में यह कहा गया है कि राज्यों का दायित्व है कि वह नैतिक रूप से मानवाधिकारों का संरक्षण करें। साथ ही इससे संबंधित अभियानों में लोगों को जोड़े।

मानवाधिकार के संबंध में जनमाध्यमों का योगदान सराहनीय रहा है क्योंकि पेय जल व स्वच्छ वातावरण को वर्ष 2010 में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मानव अधिकारों की रक्षा तथा भेदभाव मिटाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दिवस का उद्देश्य एक ऐसी नई पीढ़ी को प्रेरित करना भी है जो मानवाधिकारों की रक्षा एवं भेदभाव मिटाने के लिए दुनिया भर में आगे आए। हालांकि दुनियाभर की सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे इन लोगों को सुरक्षा दें तथा समाज से भेदभाव मिटाने के इनके अभियान को संरक्षण दे। इस क्रम में जनमाध्यम आम जनता के बीच मानवाधिकारों के प्रति सजगता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

सीमाएः

मानवाधिकार वर्तमान समय में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र इन अधिकारों को संरक्षित करने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस सफलता की आस की जाती है वह अभी तक संभव नहीं हो पा रही है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है। मानवाधिकार के प्रचार–प्रसार से लेकर मीडिया समय–समय पर मानवाधिकार हनन के मुद्दों को स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल तक उठाती रहती है। मानवाधिकारों को लेकर मीडिया एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा रही है। मानवाधिकार हनन, प्रचार–प्रसार और राज्य के दायित्वों के बीच जनसंचार माध्यम कैसे सकारात्मक पहलुओं के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहा है, इस अध्ययन में ऐसे ही तत्वों को

विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

सुझावः

मानवाधिकारों के लिए संघर्ष की गाथा आज कोई नई नहीं है। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए आदिम सभ्यता से आवाजें उठती रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं राज्य इन अधिकारों का संरक्षण करने में लचीला व्यवहार करता नजर आते हैं। उसका ये लचीला व्यवहार यह साबित करता है कि अब भी शासन व्यवस्था को संचालित करने में मानवाधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है। मानवाधिकारों और जनसंचार माध्यमों के बीच आपसी तालमेल और संरक्षण के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं जो मानवाधिकार संरक्षण में सहायक होंगे।

- मानव सभ्यता के इतिहास में ये दर्ज है कि मानवाधिकारों का हनन मानव ही करते आए हैं। यह किसी कानून के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह तो कानून के दुरुपयोग है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए, समाज कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए।
- राज्य सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए कि वे मानवाधिकारों के हनन संबंधी मामलों में गंभीरता से कार्य करें।
- जनसंचार माध्यम केवल अपनी सकारात्मक भूमिका के बल पर ही मानवाधिकार संबंधी समाचारों का प्रसारण करते हैं, जबकि राज्य सरकार उनके इस कार्य को व्यवस्था–विरोधी मानकर ध्यान नहीं देती है, इस कार्य के लिए दोनों को मिलकर पहल करनी चाहिए।
- राज्य और मीडिया को समय–समय पर अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार करते रहना चाहिए न कि केवल मानवाधिकार दिवस के अवसर पर।
- राज्य के साथ मीडिया भी इस जिम्मेदारी को उठाए कि प्रत्येक संस्था में मानवाधिकार संरक्षण और प्रचार–प्रसार के पर्याप्त साधन और संसाधन मौजूद रहें।
- यह समस्या ग्लोबल है अतः इनके संबंध में राज्य के प्रत्येक नागरिक को जानकारी होना आवश्यक है। जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।

मानवाधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में सन् 1993 में वियना के मानव अधिकार सम्मेलन में घोषित किया गया। इस घोषणा के अनुसार सभी व्यक्ति मानवाधिकार की गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से प्रतिभूत होते हैं। व्यक्ति और मानवाधिकार के साथ मूल स्वतंत्रता केंद्रीय विषय है। भारत जैसे देश में मानवाधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारतीय संविधान में विधि के साथ स्थापित करते हुए विभिन्न अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वचित किया गया है। साथ ही संविधान की उद्देशिका के विस्तृत अर्थ में भी मानवाधिकार से जुड़े आयाम स्पष्ट होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व में स्थापित मानवाधिकार के अनुसार हैं तथा मानवीय गरिमा के साथ व्यक्ति को मान्यता देना आज के वैश्विक परिवेश में महानतम उपलब्धि है। क्योंकि इस उपलब्धि को व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है। आज विभिन्न जनमाध्यम तत्परता के साथ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों को प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

संदर्भः

1.प्रो. विपिन चंद्रा, आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, प्रकाशक– हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय– दिल्ली, 1996.
2.चतुर्वेदी जगदीश्वर, माध्यम साम्राज्यवाद, प्रकाशक– अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रा.लि., नई दिल्ली, 2002.
3.सुधीश पचौरी, टेलीविजन समीक्षाः सिद्धांत और व्यवहार, प्रकाशक– वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
4.सुधीश पचौरी, उत्तर आधुनिक मीडिया विमर्श, प्रकाशक– वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
5.आनंद मित्रा, टेलीविजन एण्ड पापुलर कल्चर इन इंडिया, प्रकाशक– सेज पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993.
6.रॉबर्ट डब्ल्यू मैक्चेस्नी, इलेन मिकसिंस वुड, जॉन बेलेमी फॉस्टर (संपादक), राजेंद शर्मा (अनुवादक), पूंजीवाद और सूचना का युग, (भूमण्डलीय संचार क्रांति की राजनीतिक अर्थ व्यवस्था), प्रकाशक– ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली, 2006.
7.सीन मैकब्राइड, मेनी वायसेज, वन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी टुडे एंड टुमौरो, प्रकाशक– यूनेस्को, पेरिस, 1980.
8.जोशी रामशरण (संपादक), मीडिया और बाजारवाद, प्रकाशक– राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जगतपुरी, दिल्ली, 2002.
9.रेमण्ड विलियंस, सत्यम वर्मा, प्रमोद झा (अनुवादक), संचार माध्यमों का वर्ग चरित्र, प्रकाशक– ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली, 2000.
10.राधेश्याम शर्मा, जनसंचार, (तृतीय संस्करण), प्रकाशक– हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, हरियाणा, 1999.
11.शंभुनाथ, आज का मीडिया–समकालीन सृजन, प्रकाशक– वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2000.
12.गोपाल सक्सेना, टेलीविजन इन इंडिया–चेंज एण्ड चैलेंज, प्रकाशक– विकास पब्लिकेशन, दिल्ली, 1996.
13.मोहनदास गांधी, इंडिया ऑफ माइ ड्रीम्स, प्रकाशक– नवजीवन पब्लिसिंग हाउस, अहमदाबाद, 1947.
14.हंस, टेलीविजन विशेषांक, जनवरी, प्रकाशक– अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2001.
15.नया ज्ञानोदय (मीडिया विशेषांक, अंक–83), जनवरी, प्रकाशक– भारतीय ज्ञानपीठ, 2010.
16.इम्पैक्ट, प्रकाशक– एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप पब्लिकेशन, मुंबई।
17.दीवान–ए–सराय 01, मीडिया विमर्शः प्रकाशक– सरायः नव संचार पहल, विकासशील समाज अध्ययन पीठ का कार्यक्रम, दिल्ली, 2002.
18.योजना, प्रकाशक– प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
19.विदुर (हिंदी एवं अंग्रेजी), प्रकाशक– प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिल्ली।
20.भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2009, 2010, 2011.

वेबसाइटः

1.www. mediaresearch.com tvnet.com
2.www. cable.quest.com

3.www. exchange4media.com
4.www. publicationdivision.nic.in
5.www. tvguide.com
6.www. tvchakra.com
7.www. tv4india.com
8.www. deloitte.com/in
9.www. mediaimpact.org
10.www. tvguide.com
11.www. indiantelevision.com

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net